भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2144
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

स्टार्स योजना

2144. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

डॉ. विनोद कुमार बिंद:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) योजना के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के स्टार्स योजना के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यालयों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या मध्य प्रदेश के देवास, ओडिशा के बालासोर, उत्तर प्रदेश के भदोही के किन्हीं विद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क और ख) स्ट्रेंथिनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) कार्यक्रम को छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना में चयनित राज्यों में छात्र परिणामों और चयनित राज्यों में स्कूल शिक्षा के अभिशासन में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के लक्षित लाभार्थी 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे (प्री-स्कूल से कक्षा XII) शिक्षा संस्थान और शिक्षक हैं।

स्टार्स को 6 राज्यों के समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार की भूमिका नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करना, योजना के मानकों के अनुसार केन्द्रीय अंश जारी करना और योजना की समग्र निगरानी करना है। राज्य योजना के वास्तविक कार्यान्वयन योजना के लिए निधियों का अपना हिस्सा प्रदान करने और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन का स्वामित्व और देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रभावी कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से योजना के विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, प्रत्येक घटक के लिए संवितरण से जुड़े संकेतक (डीएलआई) तैयार किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए समय-समय पर राज्यों के साथ केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, इस योजना में कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक निगरानी और मूल्यांकन जैसे प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से विश्व बैंक का संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) तंत्र है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य तंत्रों में परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और लेखा परीक्षा तंत्र शामिल हैं।

(ग और घ) स्टार्स योजना के तहत स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा योजना के प्रयासों में सहायता की जाती है। इसमें पूर्व-प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के लाभार्थी के रूप में छात्र और शिक्षक शामिल हैं। स्टार्स योजना के तहत ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य में शामिल स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

	ओडिशा	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
स्कूलों की संख्या	54398	92222	लागू नहीं, क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।
छात्रों की संख्या	6085945	8519859	
शिक्षकों की संख्या	241106	315633	

बालासोर जिला सहित ओडिशा राज्य के सभी सरकारी स्कूल और देवास जिला सहित मध्य प्रदेश राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्टार्स योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की स्टार योजना का हिस्सा नहीं है।

******